<u>इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट का दीव में होगी शुरूआत</u>

दीवः- दीव जिला के विदेश में जानेवाले लोगों को सूचित किया जाता है कि अगले सप्ताह से उन्हें इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। यह लाइसेंस दीव स्थित आरटीओ विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। इस ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि जारी तारीख से एक साल की होगी। इस सुविधा से लंदन, पुर्तगाल एवं अन्य देशों में जानेवाले दीव वासियों को निश्चय ही लाभ होगा। माननीय समाहर्ता, दीव श्री विनोद पी. कावले द्वारा उनके सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

विदेश जानेवाले दीववासी इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठायें।